



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2018/ वैशाख 4, 1940

No. 265]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2018/ VAISAKHA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 393(अ).—केंद्रीय सरकार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी (भगोड़ा आर्थिक अपराधी की घोषणा के लिए आवेदन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ख) "अध्यादेश" से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का1) अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अध्यादेश में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अध्यादेश में उनके हैं।

3. **आवेदन अग्रेषित करने की रीति**—(1) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी एक अनुक्रमणिका और सामग्री तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे,--

(i) किसी ऐसे व्यक्ति विरुद्ध जिसके बारे में भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का विश्वास है, भारत के किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी अनुसूचित अपराध के अभियोजन संबंध में गिरफ्तारी वारंट की प्रति;

(ii) ऐसा विश्वास करने के कारणों का कथन कि कोई व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है;

(iii) किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके बारे में भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का विश्वास है, ठिकाने के बारे में उपलब्ध किसी जानकारी पर कथन;

(iv) ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का विश्वास है, भारत वापस लाने के लिए किए गए प्रयास का कोई सबूत;

(v) संपत्तियों की सूची या ऐसी संपत्तियों का मूल्य जिनके बारे में अपराध के आगम होने का विश्वास है, जिसके अंतर्गत भारत के बाहर की कोई ऐसी संपत्ति भी है जिनके अधिहरण की ईप्सा की गई है;

(vi) भारत में या विदेश में किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके बारे में भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का विश्वास है, स्वमित्वाधीन ऐसी संपत्तियों या बेनामी संपत्ति की सूची, जिनके अधिहरण की ईप्सा की गई है;

(vii) बेनामी संपत्ति संबंधी अधिनियम, 1988 के अधीन न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी द्वारा जारी अधिहरण आदेश की प्रति, यदि कोई हो; और

(viii) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनका खंड (v) और खंड (vi) के अधीन सूचीबद्ध संपत्तियों में से किसी संपत्ति में कोई हित हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई अनुक्रमणिका और सामग्री का प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होंगे और उसे संदर्भ संख्या और प्रेषण की तारीख उपर्युक्त करते हुए मुहरबंद लिफाफे में विशेष न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी, अभिस्वीकृति स्लिप रजिस्टर, डाक रजिस्टर जैसे रजिस्टर और अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जैसे ही सामग्री के साथ आदेश की प्रति विशेष न्यायालय को अग्रेषित की जाती है, रजिस्टर में तुरंत आवश्यक प्रविष्टियां कर ली जाएं।

[फा. सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2018

G.S.R. 393(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These Rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Application for Declaration of Fugitive Economic Offender) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “authorised officer” means any officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules;
 - (b) “Ordinance” means the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018).
 - (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Ordinance shall have the meaning respectively assigned to them in the Ordinance.
3. **Manner of forwarding an application.**— (1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index and material containing,—
 - (i) a copy of a warrant of arrest in relation to prosecution of a Scheduled Offence against the individual believed to be a fugitive economic offender issued by any Court in India;

(ii) a statement of reasons to believe that an individual is a fugitive economic offender;

(iii) a statement on any information available as to the whereabouts of the individual believed to be a fugitive economic offender;

(iv) any proof of effort undertaken to bring the individual believed to be a fugitive economic offender back to India;

(v) a list of properties or value of such properties believed to be the proceeds of crime, including any such property outside India for which confiscation is sought;

(vi) a list of properties or benami property owned by the individual believed to be a fugitive economic offender in India or abroad for which confiscation is sought;

(vii) a copy of a confiscation order issued by the Adjudicating Authority under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, if any;

(viii) a list of persons who may have an interest in any of the properties listed under clauses (v) and (vi).

(2) The index and material prepared under sub-rule (1) shall be signed on each page and forwarded to the Special Court in a sealed envelope, indicating a reference number and date of despatch.

(3) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the order along with the material are forwarded to the Special Court.

[F.No. 6/3/2017-FSLRC]

DR. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 394(अ).—भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भगौड़ा आर्थिक अपराधी (कुर्की आदेश का जारी किया जाना) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - "प्राधिकृत अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत उपनिदेशक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
 - "कुर्की आदेश" से अध्यादेश की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन कोई लिखित आदेश अभिप्रेत है;
 - "अध्यादेश" से भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) अभिप्रेत है;
 - "धारा" से अध्यादेश की कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अध्यादेश में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अध्यादेश में क्रमशः उनके हैं।

3. कुर्की आदेश जारी किए जाने की रीति—(1) जहां निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को विशेष न्यायालय द्वारा अध्यादेश की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति कुर्क करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी कुर्की आदेश करेगा।

(2) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी भगौड़े आर्थिक अपराधी और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो आदेश में सूचीबद्ध किसी भी संपत्ति में हित रखते हों, जिसके अंतर्गत संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति भी हैं तथा विशेष न्यायालय को कुर्की आदेश की एक प्रति पृष्ठांकित करेगा ।

(3) कुर्की आदेश की तामील निम्नलिखित रीति में की जाएगी :—

(क) स्वामी या व्यक्ति को कुर्की आदेश का परिदान करके या देकर ; या

(ख) यदि ऐसे स्वामी या व्यक्ति को परिदान नहीं की जा सकती, तो ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को इसका परिदान करके ; या

(ग) यदि उस समय, जब स्वामी या व्यक्ति पर कुर्की आदेश की तामील की जा रही हो, वह अपने निवास से अनुपस्थित है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास पर पाए जाने की कोई संभावना नहीं है तथा उसने अपनी ओर से तामील स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं किया है, तो तामील, ऐसे स्वामी या व्यक्ति के कुंतव में किसी ऐसे वयस्क सदस्य पर, जो उसके साथ निवास कर रहा है, की जा सकेगी ;

(घ) यदि तामील खंड (क) से खंड (ग) में उपबंधित रूप में नहीं की जा सकती, तो तामील करने वाला अधिकारी उस परिसर के, जिसमें व्यक्ति या स्वामी निवास करता है या उसका अंतिम रूप से निवास किया जाना जात है या कारबार करता है या स्वयं अभिलाभ के लिए कार्य करता है या कार्य किया है, के किसी सहजदृश्य भाग पर कुर्की आदेश की प्रति चस्पा करेगा और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित होगी ।

(4) यदि कुर्की आदेश की तामील उपनियम (3) के अधीन नहीं की जा सकती, तो किसी ऐसे प्रमुख समाचार पत्र में, जिसका क्षेत्र में या उस अधिकारिता में व्यापक परिचालन है, जिसमें व्यक्ति या स्वामी निवास करता है या उसका अंतिम रूप से निवास किया जाना जात है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है या अंतिम रूप से कार्य किया है, (देशी भाषा और अंग्रेजी दोनों में) प्रकाशित करके ।

(5) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्वामी या व्यक्ति पर कुर्की आदेश, इसके साथ-साथ उसके निवास के स्थान के पते पर या उसके निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर या ऐसे स्थान पर, जहां वह कारबार करता है या अंतिम रूप से कारबार किया है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है या अंतिम रूप से कार्य किया है, परिदान के सबूत के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जा सकेगी ।

4. निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासियों इत्यादि पर कुर्की आदेश की तामील—

(1) (क) निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासियों इत्यादि पर कुर्की आदेश की, निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासियों, इत्यादि के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या प्रधान अधिकारी पर तामील की जाएगी या भारत में ऐसी निकायों के मुख्य अधिकारी के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा पत्र भेजकर की जाएगी और उस दशा में तामील की गई समझी जाएगी ;

(ख) यदि खंड (क) में उपबंधित रीति में तामील नहीं की जा सकती, तो तामील करने वाला अधिकारी परिसर के किसी ऐसे सहजदृश्य भाग पर कुर्की आदेश की एक प्रति चस्पा करेगा, जिस कार्यालय में निगमित निकाय, सोसाइटी और न्यास, इत्यादि कारबार करते हैं या अंतिम रूप से कारबार किया है ।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन कुर्की आदेश की तामील नहीं की जा सकती, तो किसी ऐसे प्रमुख समाचार पत्र में, जिसका क्षेत्र में या उस अधिकारिता में व्यापक परिचालन है, जहां निगमित निकाय, सोसाइटी और न्यास कारबार करते हैं या अंतिम रूप से कारबार किया है, (देशी भाषा और अंग्रेजी दोनों में) प्रकाशित करके ।

[फा. सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2018

G.S.R. 394(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018), the Central Government hereby makes the following, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Issuance of Attachment Order) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “authorised officer” means an officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules;

(b) “attachment order” means an order in writing under sub-section (1) of section 5 of the Ordinance;

(c) “Ordinance” means the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018);

(d) “section” means a section of the Ordinance.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Ordinance, shall have the meanings respectively assigned to them in the Ordinance.

3. Manner of issuance of attachment order.— (1) Where the Director or any authorised officer has been granted permission by the Special Court under sub-section (1) of section 5 to attach property, the authorised officer shall make an attachment order.

(2) The Director or authorised officer shall endorse a copy of the attachment order to the fugitive economic offender and persons who may have interest in any of the property listed in the Order including the persons in possession of the properties and the Special Court.

(3) The service of attachment order shall be done in the following manner:—

(a) by delivering or tendering the attachment order to the owner or person; or

(b) if it cannot be delivered to such owner or person, by delivering it to the person duly authorised by such owner or person; or

(c) if the owner or person is absent from his residence at the time when service of the attachment order is being effected on him, and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time and he has not duly authorised any person to accept the service on his behalf, service may be made on any adult member in the family of such owner or person who is residing with him; or

(d) if the service cannot be effected as provided in clauses (a) to (c), the serving officer shall affix one of the duplicate of the attachment order at some conspicuous part of the premises in which the person or owner resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and that the written report thereof shall be witnessed by two persons.

(4) If the attachment order cannot be served under sub-rule (3), then by publishing it in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

(5) Notwithstanding anything contained in this rule, the attachment order may be sent to the owner or person simultaneously by speed post with proof of delivery at the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain.

4. Service of attachment order on corporate bodies, societies and trusts etc.— (1) (a) The attachment order on corporate bodies, societies and trust etc. shall be effected by serving it on the secretary, local manager or the principal officer of the corporate bodies, societies and trust etc., or by letter sent by speed post addressed to the chief officer of such bodies in India, in which case the service shall be deemed to have been effected;

(b) If the service cannot be effected as provided in clause (a), the serving officer shall affix one of the duplicate of the attachment order at some conspicuous part of the premises in which the office of the corporate body, society and trust etc. carries on business or have last carried on business.

(2) If the attachment order cannot be served under sub-rule (1), then by publishing it in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction where the corporate body, society and trust etc. carries on business or have last carried on business.

[F.No. 6/3/2017-FSLRC]

DR. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 395(अ).— केन्द्रीय सरकार, भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भगौड़ा आर्थिक अपराधी (अनन्तिम कुर्की आदेश का जारी किया जाना) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “प्राधिकृत अधिकारी” से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत उप-निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो ;
- (ख) “अध्यादेश” से भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) अभिप्रेत है ;
- (ग) “अनन्तिम कुर्की आदेश” से अध्यादेश की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन लिखित रूप में कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अध्यादेश में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्यादेश में क्रमशः उनका है।

3. अनन्तिम कुर्की आदेश के जारी की जाने की रीति :- (1) जहां निदेशक या किसी प्राधिकृत अधिकारी के पास उसके कब्जे में जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि संपत्ति अपराध का आगम है या संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है जो भगौड़ा आर्थिक अपराधी है और जिस पर ऐसी रीति में कार्रवाई की जा रही है या कार्रवाई किए जाने की संभावना है जिसका परिणाम धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन जब्ती के लिए संपत्ति का अनुपलब्ध होना है, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी अनन्तिम कुर्की आदेश करेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, भगौड़ा आर्थिक अपराधी और ऐसे व्यक्तियों को, जो आदेश में सूचीबद्ध किन्तु संपत्तियों में कोई हित रखते हों, जिनके अंतर्गत संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति भी हैं, तथा विशेष न्यायालय को अनन्तिम कुर्की आदेश की एक प्रति पृष्ठांकित करेगा।

(3) अनन्तिम कुर्की आदेश की तामील निम्नलिखित रीति में की जाएगी :-

- (क) स्वामी या व्यक्ति को अनन्तिम कुर्की आदेश परिदान करके या देकर ; या
- (ख) यदि यह ऐसे स्वामी या व्यक्ति को परिदान नहीं की जा सकती, तो ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को इस परिदान करके ; या
- (ग) यदि उस समय, जब स्वामी या व्यक्ति पर अनन्तिम कुर्की आदेश की तामील की जा रही हो, वह अपने निवास से अनुपस्थित है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास पर पाए जाने की कोई संभावना नहीं है तथा अपनी

ओर से तामील स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं किया है, तो तामील, ऐसे स्वामी या व्यक्ति के कुटुंब में किसी ऐसे वयस्क सदस्य पर, जो उसके साथ निवास कर रहा है, की जा सकेगी ;

(घ) यदि तामील खंड (क) से खंड (ग) में उपबंधित रूप में नहीं की जा सकती, तो तामील करने वाला अधिकारी उस परिसर के, जिसमें व्यक्ति या स्वामी निवास करता है या उसका अंतिम रूप से निवास किया जाना ज्ञात है या कारबार करता है या स्वयं अभिलाभ के लिए कार्य करता है या कार्य किया है, के किसी सहजदृश्य भाग पर अनन्तिम कुर्की आदेश की प्रति चस्पा करेगा और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित होगी ।

(4) यदि अनन्तिम कुर्की आदेश की तामील उपनियम (3) के अधीन नहीं की जा सकती, तो किसी ऐसे प्रमुख समाचार पत्र में, जिसका क्षेत्र में या उस अधिकारिता में व्यापक परिचालन है, जिसमें व्यक्ति निवास करता है या उसका अंतिम निवास किया जाना ज्ञात है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है या अंतिम रूप से कार्य किया है, (देशी भाषा और अंग्रेजी दोनों में) प्रकाशित करके ।

(5) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्वामी या व्यक्ति पर अनन्तिम कुर्की आदेश इसके साथ-साथ उसके निवास के स्थान के पते पर या उसके निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर या ऐसे स्थान पर, जहां वह कारबार करता है या अंतिम रूप से कारबार किया है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है या अंतिम रूप से कार्य किया है, परिदान के सबूत के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकेगा ।

4. निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासियों इत्यादि पर अनन्तिम कुर्की आदेश की तामील—

(1) (क) निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासियों इत्यादि पर अनन्तिम कुर्की आदेश की, निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासियों, इत्यादि के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या प्रधान अधिकारी पर तामील की जाएगी या भारत में ऐसी निकायों के मुख्य अधिकारी के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा पत्र भेजकर की जाएगी और उस दशा में तामील की गई समझी जाएगी ;

(ख) यदि खंड (क) में यथाउपबंधित रीति में तामील नहीं की जा सकती, तो तामील करने वाला अधिकारी परिसर के किसी ऐसे सहजदृश्य भाग पर अनन्तिम कुर्की आदेश की एक प्रति चस्पा करेगा, जिस कार्यालय में निगमित निकाय, सोसाइटी और न्यास इत्यादि का कारबार करते हैं या अंतिम रूप से कारबार किया है (देशी भाषा और अंग्रेजी दोनों में) प्रकाशित करके ।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन अनन्तिम कुर्की आदेश की तामील नहीं की जा सकती, तो किसी ऐसे प्रमुख समाचार पत्र में, जिसका क्षेत्र में या उस अधिकारिता में व्यापक परिचालन है, जहां निगमित निकाय, सोसाइटी और न्यास आदि का कारबार करते हैं या अंतिम रूप से कारबार किया है (देशी भाषा और अंग्रेजी दोनों में) प्रकाशित करके ।

[फा. सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2018

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Issuance of Provisional Attachment Order) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “authorised Officer” means an officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules;

(b) “Ordinance” means the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018);

(c) “provisional attachment order” means an order in writing under sub-section (2) of section 5 of the Ordinance.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Ordinance, shall have the meanings respectively assigned to them in the Ordinance.

3. **Manner of issuance of provisional attachment order.**— (1) Where the Director or any authorised officer has reason to believe on the basis of information in his possession that the property is proceeds of crime, or is a property owned

by an individual who is a fugitive economic offender and which is being or is likely to be dealt with in a manner which may result in the property being unavailable for confiscation under sub-section (2) of section 5, the Director or authorised officer, as the case may be, shall make a provisional attachment order.

(2) The authorised officer shall endorse a copy of the provisional attachment order to the fugitive economic offender and persons who may have an interest in any of the properties listed in the order including the persons in possession of the properties and the Special Court.

(3) The service of provisional attachment order shall be done in the following manner:—

- (a) by delivering or tendering the provisional attachment order to the owner or person; or
- (b) if it cannot be delivered to such owner or person, by delivering it to the person duly authorised by such owner or person; or
- (c) if the owner or person is absent from his residence at the time when service of the provisional attachment order is being effected on him, and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time and has not duly authorised any person to accept the service on his behalf, service may be made on any adult member in the family of such owner or person who is residing with him; or
- (d) if the service cannot be effected as provided in clauses (a) to (c), the serving officer shall affix one of the duplicate of the provisional attachment order at some conspicuous part of the premises in which the person or owner resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and that the written report thereof shall be witnessed by two persons.

(4) If the provisional attachment order cannot be served under sub-rule (3), then by publishing it in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

(5) Notwithstanding anything contained in this rule, the provisional attachment order may be sent to the owner or person simultaneously by speed post with proof of delivery at the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain.

4. Service of provisional attachment order on corporate bodies, societies and trusts etc.— (1) (a) The provisional attachment order on corporate bodies, societies and trust etc. shall be effected by serving it on the secretary, local manager or the principal officer of the corporate bodies, societies and trust etc., or by letter sent by speed post addressed to the chief officer of such bodies in India, in which case the service shall be deemed to have been effected;

(b) If the service cannot be effected as provided in clause (a), the serving officer shall affix one of the duplicate of the provisional attachment order at some conspicuous part of the premises in which the office of the corporate body, society and trust etc. carries on business or have last carried on business.

(2) If the provisional attachment order cannot be served under sub-rule (1), then by publishing it in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction where the corporate body, society and trust etc. carries on business or have last carried on business.

[F. No. 6/3/2017-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 396(अ).—केंद्रीय सरकार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी (प्ररूप, तलाशी और अभिग्रहण और विशेष न्यायालय को कारणों और सामग्री को अग्रेषित करने की रीति) नियम, 2018 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) “प्राधिकृत अधिकारी” से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ख) “निदेशक” से अध्यादेश की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;

(ग) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं ;

(घ) “सामग्री” से अध्यादेश की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन तलाशी या अभिग्रहण के पश्चात् निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में सामग्री अभिप्रेत है ;

(ङ) “अध्यादेश” से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) अभिप्रेत है ;

(च) “स्थान” से भगोड़ा आर्थिक अपराधी से संबंधित कोई स्थान अभिप्रेत है ;

(छ) “अभिलेख” के अंतर्गत लेखा वहियों के रूप में अनुरक्षित या कंप्यूटर या टेप या डिस्क या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित या प्रतिलिखित सूचना है ;

(ज) “अनुसूची” से अध्यादेश की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) “धारा” से अध्यादेश की धारा अभिप्रेत है ।

(2) सभी अन्य शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अध्यादेश में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अध्यादेश में है ।

3. तलाशी से संबंधित प्रक्रिया—(1) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी,--

(क) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, जिसमें उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि उनमें ऐसे अभिलेख या अपराध के आगत रखे गए हैं, में प्रवेश करने और तलाशी करने के लिए सशक्त होगा ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, शेफ, अलमारी या किसी अन्य ग्राह्य के ताले, जिनकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं, को तोड़ने के लिए सशक्त होगा ;

(ग) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करने के लिए सशक्त होगा ;

(घ) ऐसे अभिलेख पर पहचान चिह्न लगाने या उनसे उद्धरण लेने या उनकी प्रतियां बनाने के लिए सशक्त होगा ;

(ङ) ऐसे अभिलेख या संपत्ति को नोट करने या माल सूची बनाने के लिए सशक्त होगा ;

(च) इस अध्यादेश के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत सभी विषयों के संबंध में शपथ पर किसी व्यक्ति की, जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई अभिलेख या संपत्ति पाई जाती है, जांच करने के लिए सशक्त होगा :

परंतु तब तक कोई तलाशी संचालित नहीं की जाएगी जब तक किसी अधिकारी को, जो भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या यथास्थिति, किसी कार्यालय या मंत्रालय या विभाग के समतुल्य विभागाध्यक्ष या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए, अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है ।

(2) तलाशी करने से पूर्व निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी,--

(क) जहां किसी भवन या स्थान की तलाशी की जानी है, उस स्थान, जिसमें तलाशी किया जाने वाला भवन या स्थान अवस्थित है, से दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाएगा ; और

(ख) जहां किसी जलयान, यान या वायुयान की तलाशी की जानी है, तलाशी में भाग लेने और साक्ष्य के लिए दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाएगा और उन्हें या उनमें से किसी एक को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा ।

(3) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान का प्रभारी या उनमें कोई व्यक्ति प्राधिकार को प्रस्तुत करने पर निदेशक या या प्राधिकृत अधिकारी को उसमें निर्बाधित प्रवेश अनुज्ञात करेगा और उनकी तलाशी के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा ।

(4) यदि ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है तो प्राधिकार को निष्पादित करने वाले निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के लिए पुलिस अधिकारियों या ऐसे अन्य अधिकारियों, जैसी अपेक्षा हो, की सहायता से ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करना और उनकी तलाशी लेना तथा ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी भवन या स्थान के किसी दरवाजे या खिड़की के ताले को, चाहे वह तलाशी किए जाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के हों, यदि प्राधिकार प्रस्तुत करने और प्रवेश की सम्यक्तः मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश अभिप्राप्त नहीं कर सकता है, तोड़ना विधिमान्य होगा :

परंतु यदि ऐसा भवन या स्थान कोई ऐसा अपार्टमेंट है, जो किसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है, जो प्रथा के अनुसार लोगों के बीच उपस्थित नहीं होती है, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पूर्व ऐसी महिला को नोटिस देगा कि वह वहां से हटने के लिए स्वतंत्र है और उसे वहां से हटने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करेगा और तब वह अपार्टमेंट को तोड़ सकेगा और उसमें प्रवेश कर सकेगा ।

(5) यदि तलाशी के लिए प्राधिकृत किए जाने वाले किसी जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा जलयान, यान या वायुयान सचल है या किसी अन्य कारण से तो प्राधिकार को निष्पादित करने वाले निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की ऐसी सहायता से, जो वह अपेक्षा करे, ऐसे किसी यान या जलयान या किसी वायुयान की दशा में उसे रोकना, उसे रोकने या उतरने के लिए विवश करना और जलयान, यान या वायुयान के किसी भाग की तलाशी लेना और ऐसे जलयान, यान या वायुयान के किसी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना, चाहे वह तलाशी किए जाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के हों, यदि प्राधिकार प्रस्तुत करने के पश्चात् और प्रवेश करने की सम्यक् मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश अभिप्राप्त नहीं करता है, विधिमान्य होगा :

परंतु यदि ऐसा जलयान, यान या वायुयान किसी महिला के अधिभोग में है, जो प्रथा के अनुसार जनता के बीच उपस्थित नहीं होती है, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने से पूर्व ऐसी महिला को नोटिस देगा कि वह वहां से हटने के लिए स्वतंत्र है और उसे वहां से हटने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा तथा तब वह जलयान, यान या वायुयान के दरवाजे को तोड़ सकेगा और उसमें प्रवेश कर सकेगा ।

(6) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति से, जो स्वामी है या जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई बॉक्स, लॉकर, शेफ, अलमारी या कोई अन्य ग्राह्य, ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में अवस्थित है, से उसे खोलने की और उनकी अंतर्वस्तु का निरीक्षण या जांच करने की अपेक्षा कर सकेगा और जहां उनकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं या जहां ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे बॉक्स, लॉकर, शेफ, अलमारी या अन्य ग्राह्य के ताले को तोड़ सकेगा, जिसे इस निमित्त निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों को पूरा करने के लिए निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक समझे ।

(7) तलाशी किए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान का अधिभोगी, जिसके अंतर्गत ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति या इस निमित्त कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, को ऐसी तलाशी के दौरान भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(8) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी तलाशी और अभिग्रहण के तुरंत पश्चात् उस उपधारा में निर्दिष्ट अपने कब्जे की सामग्री के साथ इस प्रकार अभिलिखित कारणों की एक प्रति मुहरबंद लिफाफे में विशेष न्यायालय को अग्रेपित करेगा ।

4. अभिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया—(1) यथास्थिति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी भवन, स्थान, जलयान या यान या वायुयान में तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा ।

(2) जहां किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी यह आदेश पारित कर सकेगा कि संपत्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा या अन्यथा उसका ऐसा आदेश करने वाले निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञेय के बिना निपटान नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति की संबंधित व्यक्ति को तामील की जाएगी ।

(3) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 2 में एक अभिग्रहण मेमो (मदों की माल सूची) तैयार करेगा, जिसको तलाशी किए गए भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान के अधिभोगी, जिसके अंतर्गत ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति या उसके निमित्त किसी व्यक्ति है, को परिदृष्ट किया जाएगा और निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार तैयार की गई माल सूची की प्रति निदेशक और विशेष न्यायालय को भी अग्रेषित करेगा ।

(4) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी संपत्तियों के अभिलेखों, जिसके अंतर्गत तलाशी के दौरान अभिग्रहण किया गया सोना-चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान चीजें तथा अन्य वस्तुएं हैं, को एक आधान में रखेगा या रखवाएगा, जिसमें सोना-चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान चीजों तथा वस्तुओं के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, ऐसे आधान पर निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी का पहचान चिह्न और मुहर होगी तथा ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान, जिसके अंतर्गत तलाशी लिए गए ऐसे जलयान, यान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति या इस निमित्त कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, को भी आधानों पर अपनी मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

5. संपत्ति या अभिलेखों का प्रतिधारण—(1) जहां धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी संपत्ति या अभिलेखों का अभिग्रहण किया गया है और निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के पास उसके कब्जे की सामग्री के आधार पर यह विश्वास (ऐसे विश्वास के कारणों को उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा) करने का कारण है कि ऐसी संपत्ति या अभिलेखों को धारा 12 के अधीन भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित करने की अपेक्षा है तो ऐसी संपत्ति या अभिलेखों का, यदि अभिग्रहण किया गया है, उस तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए, जिसको ऐसी संपत्ति या अभिलेखों का अभिग्रहण किया गया था या ऐसी विस्तारित अवधि, जो प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रतिधारित किया जाएगा ।

(2) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपनियम (1) के अधीन भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा संपत्ति या अभिलेखों के प्रतिधारण के तुरंत पश्चात् मदों की माल सूची को प्ररूप 1 में मुहरबंद लिफाफे में विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा ।

(3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर सिवाय उक्त अवधि से परे ऐसी संपत्ति या अभिलेखों को प्रतिधारित करने के लिए विशेष न्यायालय की अनुज्ञा न दी जाए, संपत्ति या अभिलेखों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा, जिससे ऐसी संपत्ति या अभिलेखों का अभिग्रहण किया गया था ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध जहां तक वह तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में अध्यादेश के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, लागू होंगे ।

7. नियम 5 के अधीन माल सूची अग्रेषित करने की रीत—(1) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी अपने कब्जे में मदों के साथ अभिलिखित कारणों की प्रति का एक इंडेक्स तैयार करेगा और पारेषण की संदर्भ संख्या और तारीख उपदर्शित करते हुए इंडेक्स की प्रति विशेष न्यायालय को मुहरबंद लिफाफे में अग्रेषित करते हुए ऐसे इंडेक्स के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा ।

(2) निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी इस नियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर और अन्य अभिलेख, जैसे अभिस्वीकृति पर्ची रजिस्टर, डाक रजिस्टर रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष न्यायालय को सामग्री के साथ कारणों की प्रति अग्रेषित करने के तुरंत पश्चात् रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां की जाती हैं ।

प्रूप 1

[नियम 4 का उपनियम (3) और नियम 5 का उपनियम (2) देखें]

अभिग्रहण ज्ञापन

(मदों की सूची)

तारीख

..... [समय] से [समय] तक

पंच साक्षी :

1. [नाम, पूरे पते सहित]

2. [नाम, पूरे पते सहित]

हम, ऊपर नामित पंच, जिन्हें श्री [अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता] द्वारा बुलाया गया है, स्वयं को [परिसर का पूरा पता] पर उपस्थित करते हैं। यहां हमें श्री [निदेशक का नाम, पदनाम और पूरा पता] द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी तारीख का एक प्राधिकार दिखाया गया है, जिसके द्वारा श्री [निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता] को ऊपर लिखित परिसरों की तलाशी लेने या अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। हमने और साथ ही श्री [परिसरों के अधिभोगी का नाम] ने प्राधिकार को देखे जाने के साथ स्वरूप तारीख सहित अपने हस्ताक्षर किए हैं। श्री [प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता] और उनके साथ आए अधिकारियों, अर्थात् सर्वश्री/श्री/श्रीमती ने तलाशी को वास्तविक रूप में आरंभ करने से पूर्व और तलाशी को समाप्त करने के पश्चात्, दोनों अवसरों पर, उनकी स्वयं की तलाशी लेने की प्रस्थापना की थी, जिससे सर्वश्री/श्री/श्रीमती [परिसरों के अधिभोगी] ने इंकार किया था या/द्वारा तलाशी ली गई थी। तलाशी तारीख को बजे आरंभ हुई थी और तारीख को बजे समाप्त हुई थी। तलाशी के परिणामस्वरूप [अपराध के आगमों या बेनामी संपत्ति या अन्य संपत्ति के अभिलेखों को विनिर्दिष्ट करें] की जांच तथा उनका सत्यापन किया गया था और नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए व्यौरों के अनुसार उनकी सूची तैयार की गई थी या उन्हें बरामद किया गया था और उनका अभिग्रहण किया गया था या उनके अंतरण को प्रतिषिद्ध किया गया था। तलाशी का संचालन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रीति में किया गया था और तलाशी के अनुक्रम के दौरान किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची थी।

[हस्ताक्षर]

प्राधिकारी

[मुद्रा]

अनुसूची

[वरामद और अभिगृहीत मदों की सूची]

पंच साक्षी :

1. [हस्ताक्षर, तारीख सहित]

2. [हस्ताक्षर, तारीख सहित]

.....
[उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसकी तलाशी ली गई]

(प्राधिकारी)

हस्ताक्षर, मुद्रा सहित

(प्रति प्राप्त की)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसकी तलाशी ली गई।

टिप्पणी—अभिग्रहण ज्ञापन के प्रत्येक पृष्ठ पर पंच साक्षियों, उस व्यक्ति के, जिसकी तलाशी ली गई और प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और तारीख डाली जाएगी।

[फा. सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2018

G.S.R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Special Court) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “authorised officer” means an officers not below the rank of a Deputy Director authorised by Director for the purpose of these rules;
 - (b) “Director” means the Director appointed under clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Ordinance;
 - (c) “Form” means forms appended to these rules;
 - (d) “material” means the material in possession of Director or the authorised officer, after search or seizure under sub-section (1) of section 8 the Ordinance;
 - (e) “Ordinance” means the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018);
 - (f) “place” means a place, related to the fugitive economic offender;
 - (g) “records” include the records maintained in the form of books or stored in a computer or tapes or discs or in any other electronic form or transcribed information;
 - (h) “Schedule” means the Schedule to the Ordinance;
 - (i) “section” means a section of the Ordinance;
 - (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Ordinance shall have the meaning respectively assigned to them in the Ordinance.
3. Procedure relating to search.— (1) The Director or the authorised officer shall be empowered to—
 - (a) enter and search any building, place, vessel, vehicle or aircraft where he has reason to suspect that such records or proceeds of crime are kept;

- (b) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 8 where the keys thereof are not available;
- (c) seize any record or property found as a result of such search;
- (d) place marks of identification on such record or make or cause to be made extracts or copies therefrom;
- (e) make a note or an inventory of such record or property;
- (f) examine on oath any person, who is found to be in possession or control of any record or property, in respect of all matters relevant for the purposes of any investigation under this Ordinance:

Provided that no search shall be conducted unless a report has been submitted by an officer authorised to investigate to an officer not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or equivalent being head of the office or Ministry or Department, as the case may be, or any other officer who may be authorised by the Central Government, for this purpose.

- (2) Before making a search, the Director or the authorised officer, shall—
 - (a) where a building or place is to be searched, call upon two or more respectable persons of that locality in which the building or place to be searched is situated; and
 - (b) where a vessel, vehicle or aircraft is to be searched, call upon any two or more respectable persons, to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

- (3) Any person in charge of, or, in any building, place, vessel, vehicle or aircraft shall, on production of the authorisation, allow the Director or the authorised officer free ingress thereto and afford all reasonable facilities for search therein.

- (4) If ingress into such building or place cannot be obtained, it shall be lawful for Director or the authorised officer executing the authorisation, with such assistance of police officers or of such other officers, as may be required, to enter such building or place and search therein and in order to effect an entrance into such building or place, to break open any lock of any door or window of any building or place, whether that of the person to be searched or of any other person, if after production of authorisation and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that, if any such building or place is an apartment in actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, Director or the authorised officer shall before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it.

- (5) If ingress into any vessel, vehicle or aircraft authorised to be searched cannot be obtained because such vessel, vehicle or aircraft is moving or for any other reason, it shall be lawful for Director or the authorised officer executing the authorisation, with such assistance as may be required of police officers and such officers, to stop any such vessel or vehicle or in the case of an aircraft, compel it to stop or land, and search any part of the vessel, vehicle or aircraft, and in order to effect an entrance into such vessel, vehicle or aircraft to break open any door or window of any such vessel, vehicle or aircraft, whether that of the person to be searched or of any other person, if after production of the authorisation and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that if any such vessel, vehicle or aircraft is occupied by a woman, who according to custom does not appear in public, the Director or the authorised officer shall, before entering such vessel, vehicle or aircraft, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the door of any vessel, vehicle or aircraft and enter it.

- (6) The Director or the authorised officer may require any person who, is the owner, or has the immediate possession, or control, of any box, locker, safe, almirah or any other receptacle situated in such building, place, vessel, vehicle or aircraft, to open the same and allow access to inspect or examine its contents, and, where the keys thereof are not available or where such person fails to comply with any such requirement, may break open the lock of such box, locker, safe, almirah or other receptacle which Director or the authorised officer may deem necessary for carrying out all or any of the purposes specified by Director in this behalf.

- (7) The occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf, shall be permitted to attend during the search.

- (8) The Director or the authorised officer shall, immediately after search and seizure forward a copy of the reasons so recorded along with material in his possession, referred to in that sub-section, to the Special Court in a sealed envelope.

- 4. Procedure relating to seizure.— (1) The Director or any other officer authorised by him, as the case may be, may seize any record or property found as a result of search of any building, place, vessel or vehicle or aircraft.

(2) Where it is not practicable to seize any record or property, the Director or the authorised officer, as the case may be, may pass an order that the property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the Director or the authorised officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned.

(3) The Director or the authorised officer shall prepare a seizure memo (inventory of items) in Form I appended to these rules which shall be delivered to the occupant of the building, place, vessel, vehicle or aircraft searched, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft, or some person on his behalf and the Director or the authorised officer shall also forward a copy of the inventory so prepared to the Director and the Special Court.

(4) The Director or the authorised officer shall place or cause to be placed the records of properties including bullion, jewellery and other valuable articles and things seized during the search in a package which shall contain the details of the bullion, jewellery and other valuable article and things placed therein, such packages shall bear an identification mark and the seal of the Director or the authorised officer, and the occupant of such building, place, vehicle or aircraft, including the person in charge of such vessel, vehicle or aircraft searched or any other person on his behalf shall also be permitted to place his seal on packages.

5. Retention of property or records.— (1) Where any property or records have been seized under clause (c) of sub-section (1) of section 8 and the Director or the officer authorised by him in this behalf has, on the basis of material in his possession, reason to believe (the reason for such belief to be recorded by him in writing) that such property or records are required to be retained for the purposes of declaration of fugitive economic offender under section 12, such property or records may, if seized, be retained for a period not exceeding thirty days from the day on which such property or records were seized or such extended period as may be allowed by the Special Court on the request of the officer authorised.

(2) The Director or the officer authorised by him shall, immediately after he has retained the property or records for purposes of declaration of fugitive economic offender under sub-rule (1), forward the inventory of items in Form I to the Special Court, in a sealed envelope.

(3) On the expiry of the period specified in sub-rule (1), the property or records shall be returned to the person from whom such property or records were seized unless the Special Court permits retention of such property or records beyond the said period.

6. Code of Criminal Procedure, 1973 to apply.— The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall apply, in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Ordinance relating to search and seizure.

7. Manner of forwarding an inventory under rule 5.— (1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index of a copy of the reasons recorded along with the items in his possession and sign each page of such index while forwarding a copy of the index to the Special Court in a sealed envelope indicating a reference number and date of despatch.

(2) The Director or the authorised officer shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register, dak register for the purposes of this rule and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the reasons along with the material are forwarded to the Special Court.

FORM I

[See sub-rule (3) of rule 4 and sub-rule (2) of rule 5]

SEIZURE MEMO
(INVENTORY OF ITEMS)

Dated.....
From [time] to..... [time]

Panch Witnesses:

1. [name with complete address]
2. [name with complete address]

We, the above named panchas having been called upon by Shri [name, designation and complete address of Officer] have presented ourselves at..... [complete address of the premises]. Here we were shown an authorisation dated..... issued by Shri [name, designation and complete address of the Director] under sub-section (1) of section 8 of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018) authorising Shri [name, designation and complete address of the officer authorized by the Director] to conduct search or seizure of the above mentioned premises. We as well as Shri [name of the occupier of the premises] put our dated signatures on the authorisation in token of having seen the same. Before the actual start of search and after the conclusion of search by

Shri..... [name, designation and complete address of the Director or the authorised officer] and the accompanying officers viz. Sarvashri/Shri/Shrimati..... offered their personal search which was declined or taken by Sarvashri / Shri/ Shrimati..... [the occupier of the premises] on both the occasions in our presence. The search started athours on..... and concluded athours on..... As a result of search..... [specify proceeds of crime or records or benami property or other property] were checked and verified and inventory prepared or recovered and seized or prohibited from transfer as per details given in the Schedule below. The search was conducted in a peaceful and orderly manner and no damage to the person or property was caused during the course of search.

[Signature]

Director or the authorised officer

[Seal]

SCHEDULE

[Inventory of items recovered and seized]

Panch Witnesses:

1. [name, address and signature with date]
2. [name, address and signature with date]

.....
[signature of the person searched]

(Director or the authorised officer)
Signature with Seal

(Received copy)

[name, address and signature of the person searched]

Note.—Each page of the seizure memo is to be signed and dated by the Panch Witnesses, the person searched and the Director or the authorised officer.

[F.No. 6/3/2017-FSLRC]

DR. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 397(अ)—केन्द्रीय सरकार, भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भगौड़ा आर्थिक अपराधी (जब्त संपत्तियों की प्राप्ति और प्रबंध) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “प्रशासक” से अध्यादेश की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) “अध्यादेश” से भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1) अभिप्रेत है;

3. जब्त की गई संपत्ति की प्राप्ति :- प्रशासक, जब्त संपत्तियों को प्राप्त करने के समय, ऐसी संपत्ति को जब्त करने वाले आदेश में उल्लिखित उसकी विशिष्टियों के प्रतिनिर्देश से ऐसी संपत्ति की उचित पहचान सुनिश्चित करेगा।

4. जब्त संपत्ति का प्रबंध :- (1) जहां जब्त संपत्ति ऐसी प्रकृति की है कि कुर्की के स्थान से उसका हटाया जाना असाध्य है या उसके हटाए जाने में संपत्ति के मूल्य के अनुपात के कारण व्यय अन्तर्वलित है, वहां प्रशासक कुर्की के स्थान पर संपत्ति के उचित रख-रखाव और अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करेगा।

(2) यदि जब्त संपत्ति नकदी, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियों, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं से मिलकर बनी है तो प्रशासक ऐसी नकदी, प्रतिभूति, सोना-चांदी आभूषण या अन्य मूल्यवान चीजों को निकटतम सरकारी खजाने या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की शाखा में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा करेगा।

(3) प्रशासक, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अचल संपत्ति के ब्यारे प्ररूप-1 में और चल संपत्ति, जैसे नकदी, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियां, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के ब्यारे प्ररूप 2 में अन्तर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर बनाए रखेगा।

(4) प्रशासक, इस नियम के उप-नियम (2) में किए गए निषेप के सम्बन्ध में, यथास्थिति, खजाने या भारतीय रिजर्व बैंक या बैंक से रसीद प्राप्त करेगा।

प्रूप 1

[नियम 4 का उप-नियम (3) देखें]

जब्त संपत्ति (अचल) का प्रबंध

1. आदेश संख्या :
2. संपत्तियों की प्राप्ति की तारीख :
3. संपत्तियों का वर्णन (भूमि के मामले में : क्षेत्र, सर्वेक्षण संख्या, प्लॉट संख्या, अवस्थान और पूर्ण पता। भवन के मामले में : मकान संख्या, अवस्थान और पूर्ण पता) :
4. भगौड़ा आर्थिक अपराधी का नाम और पता :
5. प्रशासक की टिप्पणियां।

प्रशासक के हस्ताक्षर

.....
प्रशासक का नाम और पदाभिधान

तारीख.....

प्रूप 2

[नियम 4 का उप-नियम (3) देखें]

जब्त संपत्ति (चल) का प्रबंध

1. आदेश संख्या :
2. संपत्तियों की प्राप्ति की तारीख :
3. संपत्तियों का वर्णन (मात्रा, रकम, प्राक्कलित मूल्य) :
4. भगौड़ा आर्थिक अपराधी का नाम और पता :
5. जहां संपत्तियां सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा की जाती हैं, वहां खजाना या बैंक का नाम और पता :
6. खजाना या भारतीय रिजर्व बैंक या बैंक में जब्त संपत्तियों के जमा किए जाने की तारीख और समय :
7. खजाना या भारतीय रिजर्व बैंक या बैंक से अभिप्राप रसीद की तारीख सहित रसीद संख्या :
8. प्रशासक की टिप्पणियां :

प्रशासक के हस्ताक्षर

.....
प्रशासक का नाम और पदाभिधान

तारीख.....

[फा. सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डा. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2018

G.S.R. 397(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Receipt and Management of Confiscated Properties) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Administrator” means an officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 15 of the Ordinance;
 - (b) “Form” means forms appended to these rules;
 - (c) “Ordinance” means the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018);
3. Receipt of confiscated property.— The Administrator shall, at the time of receiving the confiscated properties, ensure proper identification of such property with reference to its particulars mentioned in the order confiscating such property.
4. Management of confiscated property.— (1) Where the property confiscated is of such a nature that its removal from the place of attachment is impracticable or its removal involves expenditure out of proportion to the value of the property, the Administrator shall arrange for the proper maintenance and custody of the property at the place of attachment.
(2) If the property confiscated consists of cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables, the Administrator shall deposit such cash, securities, bullion, jewellery or other valuables, for safe custody in the nearest Government Treasury or a branch of the Reserve Bank of India or State Bank of India or any authorised bank.
(3) The Administrator shall maintain a register containing the details of immovable property referred to in sub-rule (1) in Form I and details of moveable properties, such as cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables in Form II.
(4) The Administrator shall obtain a receipt from the Treasury or Reserve Bank of India or the bank, as the case may be, against the deposit made in sub-rule (2) of this rule.

FORM I

[See sub-rule (3) of rule 4]

MANAGEMENT OF CONFISCATED PROPERTY (IMMOVEABLE)

1. Order Number:
2. Date of receipt of properties:
3. Description of properties: (In case of land: area, survey number, plot number, location and complete address. In case of building: house number, location and complete address):
4. Name(s) and address(es) of the fugitive economic offender :
5. Remarks of the Administrator:

Signature of the Administrator.

.....
Name and designation of the Administrator.

Date.....

FORM II

[See sub-rule (3) of rule 4]

MANAGEMENT OF CONFISCATED PROPERTY (MOVEABLE)

1. Order number:
2. Date of receipt of properties:
3. Description of properties (quantity, amount, estimated value) :
4. Name(s) and address(es) of the fugitive economic offender :

5. Name and address of the Treasury or bank where the properties are deposited for safe custody:
6. Date and time of deposit of confiscated properties in the Treasury or Reserve Bank of India or bank:
7. Receipt number with date of the receipt obtained from the Treasury or Reserve Bank of India or bank:
8. Remarks of the Administrator:

Signature of the Administrator.

.....
Name and designation of the Administrator.

Date.....

[F.No. 6/3/2017-FSLRC]

DR. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL).

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.26 18:54:24
+05'30'